

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला -176213

क्रमांक: हि.शि.बो.(39)/02/भाग-2/ 629-641

दिनांक 09.10.2018

अधिसूचना

अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 19(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए शैक्षणिक सत्र 2018-19 से निजी शिक्षण संस्थानों के प्रश्न पत्रों/उत्तर पुस्तिकाओं को उपलब्ध करवाने के लिए कक्षा पाचवीं के लिए शुल्क रुपये 50/- प्रति छात्र व आठवीं के लिए शुल्क रुपये 100/- प्रति छात्र तथा कक्षा नवमी व जमा एक के सरकारी/निजी शिक्षण संस्थानों के लिए प्रश्न पत्रों का शुल्क रुपये 100/- प्रति छात्र निर्धारित करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

कक्षा पाचवीं व आठवीं के सरकारी स्कूलों को प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका को उपलब्ध करवाने के लिए पूर्ण खर्चा पूर्व की भाँति सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

- S. A.
सचिव

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

- 1 सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
- 2 निदेशक, शिक्षा (उच्चतर व प्रारम्भिक), शिक्षा निदेशालय, शिमला-1
- 3 वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव अध्यक्ष/सचिव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
- 4 अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/ परीक्षा नियंत्रक/उप सचिव/सहायक सचिव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला।
- 5 अनुभाग अधिकारी संचालन शाखा दसवीं/जमा दो (लेटर सेट) और अनुभाग अधिकारी, आई0टी0 सैल को अधिसूचना को बोर्ड की बैवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Ehdst. No: - EDN-U (G-4R) Board/ 2017-6522
Office of the Deputy Director of Higher Education,
UnaDistt. Una (HP).

Dated

Una

20 November, 2018

All the Principals/ Headmasters of Govt. Senior Secondary Schools/
Govt. High Schools and Private schools in Una Distt. for information .

Dy. Director of Higher Education,
Una Distt. Una (HP).

शिक्षा निदेशालय (उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश, शिमला-1

Tel: 01772653120 Extn. 234 email: genbr@rediffmail.com Fax: 2812882


पृष्ठांकन संख्या-शिक्षा-उच्चतर शिक्षा(21)एफ(18)30/2017-वी

दिनांक

अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, पिन-176213, को अधिसूचना संख्या:हि.शि.बो.(39)/02/भाग-2/629-641 दिनांक 09-10-2018 के सन्दर्भ में।
- 2 समस्त उप-शिक्षा निदेशक (उच्चतर), हिमाचल प्रदेश, को आदेश दिए जाते हैं कि इस बारे अपने-अपने अधीनस्थ समस्त राजकीय व निजी शिक्षण संस्थानों को अधिसूचना अनुसार कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें।
- 3 तकनीकी अधिकारी, अभिकलित्र कक्ष, उच्चतर शिक्षा निदेशालय को अधिसूचना की प्रति को विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
- 4 रक्षक नस्ति।



Prashant
30/10/18

(डा० प्रमोद चौहान),
संयुक्त शिक्षा निदेशक (महा०),
हिमाचल प्रदेश